संख्या-4/2025/57-1099-24-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ :दिनांक 24 जून, 2025**

विषय:-उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/ धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थ स्थल इत्यादि का जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल/ सत्संग स्थल इत्यादि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि (सरकारी विभागों, नजूल, ग्रामसभा, नगर निकाय, पुरातत्व, धर्मार्थ कार्य आदि के स्वामित्व अधीन) पर स्थित न्यूनतम् 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थ स्थल इत्यादि के जीर्णोद्धार/मरम्मत से सम्बन्धित कार्य तथा उपरोक्तानुसार सार्वजनिक भूमि पर स्थित पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के उपयोगार्थ भजन संध्या स्थल/ सत्संग स्थल इत्यादि के निर्माण हेतु प्रदेशवासियों एवं मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर शासन से अनुरोध किया जाता रहता है।

2- उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थ स्थल इत्यादि के जीर्णोद्धार/ मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल/सत्संग स्थल इत्यादि के निर्माण हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते है:-

(1) इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित उन्हीं मन्दिर/मठ/ धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थस्थल इत्यादि का जीर्णोद्धार/मरम्मत कराया जायेगा, जो न्यूनतम 100 वर्ष से अधिक पुराने होंगे।

(2) इस योजना के अंतर्गत पौराणिक व आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों के प्राचीन कुण्ड, घाट, बावली एवं अन्य जलाशय आदि के जीर्णोंद्धार का कार्य भी कराया जा सकता है।

(3) इस योजना के अंतर्गत आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आयोजन हेतु भजन संध्या/सत्संग स्थल का निर्माण सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कराया जा सकता है।

(4) इस योजनान्तर्गत किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर स्थित अथवा निजी स्वामित्व वाले मन्दिरों/मठों/निजी ट्रस्ट वाले मन्दिरों का जीर्णोद्धार/मरम्मत नहीं कराया जायेगा।

(5) इस योजना के अंतर्गत मा0 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/ तीर्थस्थल के जीर्णोंद्धार सम्बन्धी प्रस्ताव का परीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) जिलाधिकारी द्वारा जीर्णोद्धार हेतु संस्तुति करने से पूर्व सम्बन्धित मन्दिर/मठ/ धर्मशाला/कुण्ड इत्यादि का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्थल के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है तथा उक्त स्थल सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। इसके साक्ष्य में राजस्व अभिलेख/भू-अभिलेख तथा फोटोग्राफ्स संलग्न करने के अतिरिक्त पुरातत्व निदेशालय की रिपोर्ट संलग्न की जाये।

(7) जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक पौराणिक एवं धार्मिक महत्व को इंगित करते हुए संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जीर्णोद्धार हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशालय स्तर पर तकनीकी समिति का गठन कर मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थस्थल के जीर्णोद्धार सम्बन्धी प्रस्तावों/आगणन का परीक्षण किया जायेगा। उक्त तकनीकी समिति में पुरातात्विक संरक्षणविद् एवं मंदिर वास्तु विशेषज्ञ (Temple Architecture specialist) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव सूचीबद्ध करते हुये शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) शासन को उपलब्ध कराये गये मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थस्थल के जीर्णोद्धार सम्बन्धी प्रस्तावों को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो जीर्णोद्धार हेतु मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थस्थल आदि का चयन करेगी। उक्त समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य
3.	निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 अथवा उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य सचिव

(10) समिति मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थस्थल आदि के धार्मिक महत्व तथा वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत जीर्णोद्धार हेतु संस्तुति करेगी।

(11) उन मन्दिरों/मठों/धर्मशालाओं/कुण्डों/तीर्थस्थल इत्यादि के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिनके लिए स्वयं के स्रोतो या अन्य स्रोतों यथा-दान/सी.एस.आर. फण्ड इत्यादि के माध्यम से जीर्णोद्धार की लागत की 50 प्रतिशत धनराशि वहन की जायेगी।

(12) उक्त गठित समिति की संस्तुति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित स्थल का यथावश्यकता राज्य पुरातत्व निदेशालय अथवा इंटैक (INTACH) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से जीर्णोद्धार की कार्यवाही की जायेगी।

(13) अपरिहार्य परिस्थितियों में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने किसी मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थस्थल इत्यादि का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा।

(14) उ0प्र0 में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला /कुण्ड/तीर्थस्थल इत्यादि का जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल/सत्संग स्थल के निर्माण हेतु होने वाले व्यय का वहन आय-व्ययक में प्राविधानित सुसंगत मद से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त् दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त्।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-4/2025/57-1099-24-2023, दिनांक- 24.06.2025 का संलग्नक-

प्रदेश में स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

1	जनपद का नाम	
2	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड का नाम व पता	
3	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड के निर्माण का वर्ष	
4	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड का क्षेत्रफल (सम्बन्धित स्थल की चौहद्दी इत्यादि सहित)	
5	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड का इतिहास एवं धार्मिक महत्व। (इसके अन्तर्गत सम्बन्धित मन्दिर के देवता, उक्त स्थल की ऐतिहासिकता/पौराणिकता, स्थल पर होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों आदि का विवरण)	
6	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड आदि की भूमि के स्वामित्व आदि का विवरण। (भूमि सार्वजनिक अथवा निजी होने का उल्लेख करते हुये राजस्व अभिलेखों को संलग्न किया जायेगा)	
7	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड की अन्य सम्पत्तियाँ।	
8	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड की वार्षिक आय यदि कोई हो, तो विवरण सहित उल्लेख करे।	
9	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड का वर्तमान प्रबन्धन का विवरण	
10	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत आदि की अनुमानित लागत का विवरण	
11	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड आदि के जीर्णोद्धार/मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख कार्यो का विवरण।	
12	क्या मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड आदि के जीर्णोद्धार/ मरम्मत की लागत का 50 प्रतिशत व्यय दान या अन्य किसी माध्यम से वहन किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण।	
13	मन्दिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड आदि का नवीनतम् फोटोग्राफ तथा उक्त स्थल का Drone Video View & Google Earth Map View	
14	अन्य कोई बिन्दु, जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित हों, का विवरण।	

जिलाधिकारी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।